DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Wednesday, 01 March, 2017/ 10 Phalguna, 1938 (Saka)

No. 88

COMMENCEMENT OF THE FIFTH SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Hon'ble Members are informed that the Fifth Session of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, 06 March, 2017 in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING FIFTH SESSION: Sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for 06, 07, 08, 09 & 10 March, 2017. Subject to the exigencies of business the sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

Except on 06 March, 2017, the Legislative Assembly will sit from 02.00 PM and continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung at 1.55 P.M. to enable Members to take their seat.

On 06 March 2017, the sitting of the House will commence 30 minutes after conclusion of the Hon'ble Lieutenant Governor's Address.

LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS:

The Hon'ble Lieutenant Governor will address the Legislative Assembly on **06 March 2017 at 11:00 AM** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi. Members are requested to assume their seats by 10.45 AM. Quorum bell will not be rung for this purpose.

MEMBERS PARTICIPATION IN THE DEBATE:

Members who desire to participate in the debate/discussions during the session are requested to forward their requests to the Assembly Secretary through their concerned Party Leaders.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule 280 on 7, 9 and 10 March may give notice of the same by 04.00 P.M on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.00 AM on the day on which it is proposed to be raised. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any disallowed deviation will be treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
 - (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
- (b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. **THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46**
- (c) All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 06.03.2017 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 03.03.2017. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them and to assure that any person in the visitor's gallery may not shout, clap or hoot.

NOTE: - CELLULAR PHONE, PAGERS, I-PADS, TABLELTS, LAPTOPS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

(Prasanna Kumar Suryadevara) SECRETARY

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2 (विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) बुधवार, 01 मार्च, 2017 / फाल्गुन 10, 1938 (शक)

संख्या- 88

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के पाँचवे सत्र (बजट सत्र) का प्रारंभः माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा का पाँचवा सत्र सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2017 से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ प्रारंभ होगा।

पाँचवे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटनः

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर 06, 07, 08, 09 एवं 10 मार्च, 2017 के लिए निर्धारित की गई हैं। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठकें बढ़ाई जा सकती हैं।

विधान सभा की बैठकों का समयः

दिनांक 06 मार्च, 2017 को छोड़कर विधान सभा की बैठकें अपराह्न 02.00 बजे प्रारंभ होंगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थागित न कर दिया जाये। गणपूर्ति (कोरम) की घंटी अपराह्न 1.55 पर बजेगी ताकि सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर सकें। 06 मार्च, 2017 को सदन की बैठक माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण के समाप्त होने के 30 मिनट बाद आरम्भ होगी।

उपराज्यपाल का अभिभाषणः

माननीय उपराज्यपाल 06 मार्च, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा सचिवालय सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली—54 में सदस्यों को संबोधित करेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्वाह्न 10.45 बजे तक अपना आसन ग्रहण कर लें। इस आशय हेतु गणपूर्ति की घंटी नही बजाई जाएगी।

चर्चा में सदस्यों का भाग लेनाः

जो माननीय सदस्य सत्र के दौरान किसी चर्चा में भाग लेना चाहते है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित दल के नेता के माध्यम से अपना नाम विधान सभा सचिव को भेजें।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को 7, 9, और 10 मार्च को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व अपराहन 04.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग बैठक के दिन पूर्वाहन 11.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें । मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए ।

नोटिसों की प्रक्रिया

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया

जाता है, जो इस प्रकार से हैं: -

1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा सूचना शाखा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रिववार या सार्वजिनक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।

2. सूचना कार्यालय में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य

दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी ।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए । नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 स्थित है ।

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने

का समय भी अंकित किया जाता है ।

- (घ) विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।
- (ड.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराहन 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 06/03/2017 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 03/03/2017 को अपराहन 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं तथा माननीय सदस्य यह भी सुनिश्चित करें की दर्शक दीर्घा में कोई भी व्यक्ति न तो खुशी से चिल्लाए, न ताली बजाए और न हूटिंग करे।

टिप्पणीः

कृपया मोबाइल फोन, पेजर, आई. पैड्स, टेबलैट्स, लैप्टोप्स या अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा सचिव